

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर  
क्रमांक:-एफ.1(2)(03222)स्था./सान्याअवि/2026/ई-03222 जयपुर, दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

**विज्ञप्ति**

विभागीय आदेश राजकाज रे. क्रमांक 20538988 दिनांक 17.02.2026 द्वारा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-॥ सीधी भर्ती परीक्षा-2024 में विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दिनांक 19.02.2026 से 21.02.2026 तक ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म मय समस्त दस्तावेज भरने का समय दिया गया। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेजों का ऑफलाईन सत्यापन दिनांक 23.02.2026 को निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर में किया गया। दिनांक 23.02.2026 को जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी किसी विशेष परिस्थिति के कारण अनुपस्थित रहें हैं उन अभ्यर्थियों के लिये अन्तिम अवसर दिया जाकर दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 26.02.2026 निर्धारित की जाती है। अनुपस्थित रहे सूचीबद्ध अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक 26.02.2026 को प्रातः 9.30 बजे से पात्रता जांच हेतु आवेदन पत्र एवं विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म की प्रति एवं मय स्व प्रमाणित दस्तावेज व समस्त मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से निदेशालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा है वे ऑफलाईन आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म भर कर 100 रुपये का पोस्टल आर्डर सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम एवं समस्त मूल दस्तावेज लाना सुनिश्चित करें। अन्य जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की वेबसाइट [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। कृपया उक्त वेबसाइट का अवलोकन नियमित रूप से करते रहे।

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

क्रमांक:-एफ.1(2)(03222)स्था./सान्याअवि/2026/ई-03222

जयपुर, दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को उक्त विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के राज्य संस्करण में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. अति. निदेशक (विशेष पिछड़ा वर्ग) एवं नोडल अधिकारी, दस्तावेज सत्यापन प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार), मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के राज्य संस्करण में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

